न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

पत्रावली संख्याः–2019 / 00001

पीठासीन अधिकारी – **भार्गवी सान्दू**

अनवानीः–

चानणमल डिगवाल पुत्र हरिराम जाति रेगर निवासी नोहरा तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. मोहरसिह पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन नोहर।
2. जमिला पत्नि याकुब खा काजी जाति मुस्लिम नोहर।
3. सफी मौहम्मद पुत्र रहिम बक्स छिम्पा जाति मुस्लिम नोहर।
4. सरिफन पत्नी सफी मोहम्मद छिम्पा जाति मुस्लिम नोहर।
5. महेन्द्र स्वामी पुत्र बुधराम जाति स्वामी साकिन नोहर।
6. उच्छव कंवर पत्नी शकर सिह जाति राजपुत साकिन नोहर।
7. बाबु खां पुत्र हकिम खां जाति मुस्लिम साकिन नोहर।
8. संगीता पत्नी रमेश स्वामी जाति स्वामी साकिन नोहर।
9. गुलाम मोहम्मद पुत्र बरकत खां जाति मुस्लिम साकिन नोहर।
10. लाल मोहम्मद पुत्र हकिमुशाह जाति मुस्लिम साकिन नोहर।
11. शाबिर पुत्र यासीन जाति मुस्लिम साकिन नोहर।
12. धर्मपाल पुत्र द्वारका प्रसाद सोनी जाति सुनार साकिन नोहर।
13. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह भाटी निवासी ख.न. 48 नोहर।
14. रमेश पुत्र जगदीश स्वामी निवासी ख.न. 48 नोहर।
15. मालाराम सांसी निवासी ख.न. 48 नोहर।
16. किशनलाल सुनार पुत्र द्वारकाप्रसाद निवासी ख.न. 48 नोहर।
17. सुन्दरईनाथ महाराज निवासी दलपतपुरा।
18. हवासिंह पुत्र हनुमान जाट निवासी ख.न. 48 नोहर।
19. ओमप्रकाश पुत्र प्रताप निवासी ख.न. 48 नोहर।
20. प्रमेश्वरी पत्नि गिरधारी लाल अग्रवाल निवासी ख.न. 48 नोहर।
21. राधेश्याम / भवानी शंकर चाचान निवासी ख.न. 48 नोहर।
22. इन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह निवासी ख.न. 48 नोहर।
23. किशन पुत्र अमीलाल निवासी ख.न. 48 नोहर।
24. प्रेम छिंमा पुत्र भूरा निवासी ख.न. 48 नोहर।
25. कृष्ण माली निवासी ख.न. 48 नोहर।
26. अन्य।

Signature Not Verified

अप्रार्थीगण

Digitally signed by Bhargavi Sandu
Date: 2024.08.06 12:24:26 IST
Reason: SelfAttested

(अर्न्गत धारा 183 (बी) राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 42)

–:निर्णयः–

दिनांक :– 05.08.2024

प्रार्थी चानणमल ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तहसीलदार (राजस्व) नोहर

1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के दादा वरती पुत्र गंगा के नाम से मौजा जोगीआसन नं. 01 में खसरा नं. 48 की 0.7710 है. जिसके पुराने खसरा नं. 26 था, खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जोगीआसन नं. 01 के वर्तमान खसरा सं. 48 की भूमि नगरपालिका नोहर के रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि है तथा नगरपालिका नोहर द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में रूपान्तकरण/सुगौटो वगैरह नहीं की गई है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नं. 48 की जमीन मेरे दादा के नाम से होने के बावजुद सवर्ण जाति के अप्रार्थीगण के कब्जे में है। उक्त आराजी का कब्जा खाली कराया जायें इस सन्दर्भ में दिनांक 18.04.2019 को भू अ. निरीक्षक नोहर मय हल्का पटवारी द्वारा जोगीआसन नं–01, नोहर से सर्वे उपरान्त रिपोर्ट पेश की, जिसमें दर्शाया गया खसरा नं. 48 रक्बा 0.7710 है. भूमि जो कि अनुसुचित जाति वर्ग के काश्तकार के नाम है पर मौके पर पक्के मकानात बने हुए है।

प्रारम्भिक तौर पर मामला धारा 183 (बी) का बनने से दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों संख्या 1 ता 12 को अपना पक्ष रखने वास्ते दिनांक 22.04.2019 को जरिए नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 31.05.2019 नियत की गई। पेशी दिनांक 31.05.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाव प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

जवाब अप्रार्थीया सरीफन पत्नि सफी मोहम्मदः– सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीया सरीफन द्वारा उक्त भू–खण्ड खातेदार काश्तकार खुशी मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी जागीआसन से इकरनामा दिनांक 09.07.1986 बैयशुद्वा है।

जवाब अप्रार्थी लाल मोहम्मद पुत्र हकीमुशाह जाति मुसलमान नि0 नोहरः– सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भू–खण्ड ग्राम पंचायत अरड़की द्वारा पट्टा संख्या 243 दिनांक 07.09.1983 [illegible] मोहम्मद के नाम से जारी होना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhargavi Sandu
Date: 2024.08.06 12:24:26 IST
Reason: SelfAttested

जवाब अप्रार्थीया उच्छव कंवर पत्नि [illegible] जाति राजपूत नि0 नोहरः– सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीया उच्छव कंवर द्वारा उक्त कुल 2 जिसमें एक भू–खण्ड खातेदार काश्तकार मदीना पुत्री जसु खां जाति कायमखानी से खरीदशुदा है एवं दूसरा भू–खण्ड हलिमा पुत्री जसु खां जाति कायमखानी से

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

खरीदशुदा है जो कि उपपंजियक कार्यालय नोहर में रसिद संख्या प्रथम भू–खण्ड 2007003633 एवं द्वितिय भू–खण्ड 2007003634 दिनांक 10.12.2007 पर दर्ज रिकॉर्ड है।

जवाब अप्रार्थी सफी मोहम्मद पुत्र रहीमबक्स जाति छिम्पा नि0 नोहरः— सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि सफी मोहम्मद द्वारा उक्त भू–खण्ड जरिए इकरारनामा बैयशुदा बस्ती पुत्र गंगाराम जाति रैगर से दिनांक 29.05.1975 को होना बतलाया हैं।

जवाब अप्रार्थीया संगीता पत्नि रमेश जाति स्वामी नि0 नोहरः— सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीया **संगीता** द्वारा उक्त भू–खण्ड खातेदार काश्तकार अलामोद पुत्री जसु खां जाति कायमखानी से खरीदशुदा है जो कि उपपंजियक कार्यालय नोहर में रसिद संख्या 2009004754 दिनांक 14.10.2009 पर दर्ज रिकॉर्ड है।

जवाब अप्रार्थी मोहर सिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट नि0 नोहरः— सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी मोहर सिंह द्वारा उक्त भू–खण्ड जरिए इकरारनामा बैयशुदा खातेदार काश्तकार नानकराम पुत्र बस्तीराम जाति रैगर से दिनांक 01.12. 1990 को होना बतलाया हैं।

जवाब अप्रार्थी महेन्द्र पुत्र बुधराम जाति स्वामी नि0 नोहरः— सक्षेप में जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी महेन्द्र द्वारा उक्त भू–खण्ड खातेदार काश्तकार लक्ष्मीनारायण दतक पुत्र गोपीराम जाति कंदोई वगै0 से खरीदशुदा है जो कि उपपंजियक कार्यालय नोहर में दिनांक 12.10.1999 पर दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थी चानणमल डिगवाल की तरफ से दिनांक 07.06.2019 को जवाब बुल जवाब पेश किया जिसमें अप्राथीगण द्वारा पेश किए गए जवाब का खंडन करते हुए मय साक्षय सबुत सहित जवाब पेश किया गया जो सामिल मिसल किया गया। चूकि उक्त प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित था [illegible] में हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 2019 में ही मौका रिपोर्ट पेश की गई थी इसलिए [illegible] स्थिति की मौका रिपोर्ट वास्ते पुनः हल्का पटवारी को लिखा गया पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.07.2022 एवम् 15.02.2024 को पेश की गई जिसमें ख0न0 48 में मकान/खाली प्लाट/दुकानों सहित अन्य व्यक्तियों के नाम की सूचि पेश की गई प्रार्थी चानणमल न्यायहित में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली वास्ते बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhargavi Sandu
Date: 2024.08.06 12:24:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

दिनांक 09.04.2024 मुकर्र विधि पर पेश हुई। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.08.2022 को लिखित बहस पेश की जो सामिल मिसल हुई। अप्रार्थी महेन्द्र उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया एवं शेष अप्रार्थीगण को नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्यों, सबुतों का अवलोकन किया। हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीखक जोगीआसन नं. 01, नोहर द्वारा तैयार रिपोर्ट तथा उनके ब्यानात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि जोगीआसन नं. 01 के ख0न0 48 पर वर्तमान में अकृषि उपयोग हो रहा है।

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) सपठित धारा 42 में धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिचारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा वेदखली की जा सकती है।

183–बी के तहत समरी ट्रायल कर निर्णय पारित किया जाता है अप्रार्थीगण द्वारा पैश किए गए ईकरारनामों/बैयनामों की वैधता सिद्ध करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है प्रार्थी उक्त ईकरानामों/बैयनामों की वैधता सक्षम न्यायालय से सिद्ध करावे।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र 183–बी पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमाया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(भार्गवी सान्दू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhargavi Sandu
Date: 2024.08.06 12:24:26 IST
Reason: SelfAttested